अनुबंध

चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना - एक दिन के भीतर चलनिधि प्रबंधन के लिए निगरानी के साधन

1. परिचय

1.1 एक दिन के भीतर चलनिधि का प्रभावी रूप से प्रबंध करने में बैंक की असफलता के कारण समय पर भुगतान दायित्व पूरे करने में चूक हो सकती है, जिसके कारण न केवल उसकी स्वयं की बल्कि उसके प्रतिपक्षकारों की चलनिधि स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। ऋण चिंताओं या सामान्य बाजार तनाव के कारण भुगतान के निपटान में असफलता को प्रतिपक्षकार वित्तीय कमजोरी का संकेत समझ सकते हैं और इस प्रकार बैंक को किए जाने वाले भुगतान को रोक सकते हैं या विलंब कर सकते हैं, जिसके कारण बैंक पर अतिरिक्त चलनिधि दबाव होता है। इससे प्रणालियों के बीच परस्पर-निर्भरता के मद्देनजर चलनिधि संबंधी गड़बड़ी/अव्यवस्था हो सकती है, जो शीघ्रता से अनेक प्रणालियों और संस्थाओं में फैल सकती है। इस प्रकार एक दिन के भीतर चलनिधि जोखिम प्रबंधन को बैंक के चलनिधि जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग माना जाना चाहिए।

1.2 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा सितंबर 2008 में प्रकाशित किए गए *सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत* (सुदृढ़ सिद्धांत) में एक दिन के भीतर चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के महत्व पर बल दिया गया है। सुदृढ़ सिद्धांतों का सिद्धांत 8 विशेषतः एक दिन के भीतर चलनिधि जोखिम पर फोकस करते हुए कहता है कि:

> 'एक बैंक को सामान्य और दबावपूर्ण, दोनों स्थितियों में सामयिक आधार पर अपने भुगतान और निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी अंतर्दिवसीय चलनिधियों और जोखिमों का सक्रिय रूप से प्रबंध करना चाहिए और इस प्रकार भुगतान और निपटान प्रणालियों का कार्य सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए।'

1.3 सिद्धांत 8 में छः परिचालनगत तत्वों की पहचान की गई है, जिन्हें बैंक के अंतर्दिवसीय चलनिधि जोखिम प्रबंधन रणनीति में शामिल किया जाना चाहिए। इनमें कहा गया है कि बैंक के पासः

(i) प्रत्याशित दैनिक सकल चलनिधि अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह का मापन, जहां संभव हो, दिन के भीतर इन प्रवाहों के समय का अनुमान और निवल निधीयन में संभाव्य कमी, जो दिन के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर उत्पन्न हो सकती है, का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए;

(ii) प्रत्याशित क्रियाकलाप और उपलब्ध संसाधनों (शेष, बची हुई अंतर्दिवसीय ऋण क्षमता, उपलब्ध संपार्श्विक को ध्यान में रखते हुए अंतर्दिवसीय चलनिधि स्थितियों की निगरानी करने की क्षमता होनी चाहिए;

(iii) अपने एक दिन के भीतर लक्ष्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त अंतर्दिवसीय निधीयन प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए;

(iv) अंतर्दिवसीय निधियां प्राप्त करने के लिए यथावश्यक संपार्श्विक जुटाने की योग्यता होनी चाहिए;

(v) अंतर्दिवसीय लक्ष्यों के अनुरूप अपने चलनिधि बहिर्प्रवाहों के समय का प्रबंध करने का अच्छा सामर्थ्य होना चाहिए; तथा

(vi) अपने अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रवाहों में अप्रत्याशित बाधाओं से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए।

1.4 इसके अतिरिक्त, बीसीबीएस ने भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) के साथ परामर्श करके मात्रात्मक साधनों का एक समूह (set) विकसित किया है, ताकि बैंकिंग पर्यवेक्षक बैंकों के अंतर्दिवसीय चलनिधि जोखिम और सामान्य तथा दबावपूर्ण स्थितियों में सामयिक आधार पर उनके भुगतान और निपटान दायित्वों को पूरा करने की निगरानी कर सकें। निगरानी साधन सुदृढ़ सिद्धांतों के गुणात्मक दिशानिर्देशों के पूरक होंगे। भारत में परिचालन करने वाले बैंकों पर लागू परिचालनगत दिशानिर्देश, रिपोर्टिंग अपेक्षाएं और अन्य अनुदेश इस परिपत्र में दिए गए हैं।

1.5 **'बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन'** पर हमारे 07 नवंबर 2012 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.सं.56/21.04.098/2012-13 में निर्धारित व्यापक चलनिधि जोखिम प्रबंधन जिम्मेदारियों के अनुरूप बैंकों को इस परिपत्र में निर्धारित विवरणियों के अंतर्गत निगरानी डाटा का संकलन करके बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) को प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रयोजन से डाटा एकत्र करने हेतु बैंकों को भुगतान प्रणाली परिचालकों और संपर्की बैंकों सहित प्रतिपक्षकारों से संपर्क करना आवश्यक होगा। तथापि, बैंकों द्वारा इन रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं होगा।

2. एक दिन के भीतर चलनिधि की परिभाषाएं, स्रोत और उपयोग

क. परिभाषाएं

2.1 इस प्रलेख के प्रयोजन से नीचे दी गई शब्दावली के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगीः

- **अंतर्दिवसीय चलनिधिः** ऐसी निधियां, जिन तक सामान्यतः वास्तविक समय में भुगतान करने के लिए बैंकों द्वारा कारोबारी दिवस के दौरान पहुंचा जा सकता है;
- **कारोबार दिवसः** एलवीपीएस[1] अथवा संपर्की बैंकिंग सुविधाएं चालू रहने के घंटे, जिनके दौरान बैंक किसी स्थानीय क्षेत्राधिकार में भुगतान प्राप्त या अदा कर सकते हैं;
- **अंतर्दिवसीय चलनिधि जोखिमः** यह जोखिम कि बैंक अपनी अंतर्दिवसीय चलनिधि का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में असफलन हो जाए, जिसके कारण वह प्रत्याशित समय पर अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रह सकता है और इसके परिणामस्वरूप अपनी स्वयं की और अन्य पार्टियों की चलनिधि स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
- **समय विनिर्दिष्ट दायित्वः** ऐसे दायित्व, जिनका निपटान एक दिन के भीतर किसी विनिर्दिष्ट समय पर ही किया जाना है, या जिनके निपटान के लिए एक प्रत्याशित अंतर्दिवसीय निपटान समय सीमा होती है।

ख. एक दिन के भीतर चलनिधि स्रोत और उपयोग

2.2 किसी बैंक के अंतर्दिवसीय चलनिधि स्रोतों और उपयोग के मुख्य तत्व में निम्नलिखित मदें शामिल हैं। यह सूची उदाहरण-स्वरूप है, न कि संपूर्ण।

(i) स्रोत

(क) स्वयं के स्रोत

- भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखा हुआ नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) तथा अतिरिक्त सीआरआर।

---

[1] एलवीपीएस ऐसी निधि अंतरण प्रणाली है, जो विशेषतः बड़े मूल्य और उच्च प्राथमिकता वाले भुगतानों का संचालन करती है। भारत में आरटीजीएस एक एलवीपीएस ही है। कृपया सीपीएसएस/आईओएससीओ वित्तीय बाजार बुनियादी संरचना के लिए सिद्धांत, अप्रैल 2012 का भाग 1.10 देखें।

- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां तथा न्यूनतम एसएलआर अपेक्षाओं से अधिक धारित सरकारी प्रतिभूतियां।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सहायक प्रणालियों[2] के पास गिरवी रखे हुए संपार्श्विक, जिन्हें मुक्त रूप से अंतर्दिवसीय चलनिधि में परिवर्तित किया जा सकता है;
- बैंक के तुलन पत्र पर भार-रहित आस्तियां, जिन्हें मुक्त रूप से अंतर्दिवसीय चलनिधि में परिवर्तित किया जा सकता है;
- एक दिन के भीतर उपलब्ध प्रतिभूत या अप्रतिभूत, प्रतिबद्ध या अप्रतिबद्ध ऋण सुविधाएं;
- अन्य बैंकों में शेष राशियां, जिन्हें एक दिन के भीतर निपटान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

ख. अन्य स्रोत

- अन्य बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों (एलवीपीएस) के सहभागियों से प्राप्त भुगतान;
- सहायक प्रणालियों से प्राप्त भुगतान;
- संपर्की बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से प्राप्त भुगतान।

(ii) उपयोग

- अन्य एलवीपीएस सहभागियों को किए गए भुगतान;
- सहायक प्रणालियों को किए गए भुगतान;
- संपर्की बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से किए गए भुगतान;
- एक दिन के भीतर प्रस्तावित जमानती और गैर-जमानती, प्रतिबद्ध या अप्रतिबद्ध ऋण व्यवस्थाएं;
- भुगतान और निपटान प्रणाली की विफलता से संबंधित आकस्मिक भुगतान (उदाहरणार्थ एक आपात्कालीन चलनिधि प्रदाता के रूप में)।

3. एक दिन के भीतर चलनिधि निगरानी साधन

[2] सहायक प्रणालियों में खुदरा भुगतान प्रणाली, सीएलएस, प्रतिभूति निपटान प्रणालियां और केंद्रीय प्रतिपक्षकारों जैसी अन्य भुगतान प्रणालियां शामिल हैं।

3.1 भुगतान और निपटान प्रणालियों में बैंक की अंतर्दिवसीय चलनिधि के उपयोग और अंतर्दिवसीय चलनिधि स्टॉक के प्रति उसकी संवेदनशीलता को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। इसलिए, बैंक के एक दिन के दौरान चलनिधि जोखिम की पहचान और निगरानी के लिए कोई एक निगरानी साधन पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं करा सकता। इसके लिए सात अलग-अलग निगरानी साधनों का निर्धारण किया गया है, जिनकी प्रयोज्यता दर्शाने के लिए उन्हें निम्नानुसार तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया हैः

वर्ग कः सभी रिपोर्टिंग बैंकों पर लागू साधन

i. दैनिक अधिकतम अंतर्दिवसीय चलनिधि उपयोग;
ii. कारोबार दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि;
iii. कुल भुगतान;
iv. समय-विनिर्दिष्ट दायित्व;

वर्ग खः ऐसे रिपोर्टिंग बैंकों पर लागू साधन, जो संपर्की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं

i. संपर्की बैंकिंग[3] ग्राहकों की ओर से किए गए भुगतानों का मूल्य;
ii. ग्राहकों को प्रदान की गई अंतर्दिवसीय ऋण व्यवस्था;

वर्ग गः ऐसे रिपोर्टिंग बैंकों पर लागू साधन, जो प्रत्यक्ष सहभागी हैं

i. अंतर्दिवसीय प्रवाह क्षमता (थ्रूपुट);

3.2 कार्यान्वयन की तारीख और रिपोर्टिंग अवधिः उपर्युक्त साधनों को इस परिपत्र के परिशिष्ट में दिए गए रिपोर्टिंग टेम्पलेट (बीएलआर-6) में शामिल किया गया है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे 01 जनवरी 2015 से शुरू करके बीएलआर-6 के अनुसार अपनी अंतर्दिवसीय चलनिधि स्थिति मासिक आधार पर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस, केंद्रीय कार्यालय) को रिपोर्ट करें। निगरानी साधनों का वर्णन आगे के परिच्छेदों में दिया गया है।

[3] संपर्की बैंकिंग में उसी संपर्की बैंक द्वारा धारित खातों में सर्वत्र ग्राहक भुगतान किए जा सकते हैं, जिनका किसी बैंक के अंतर्दिवसीय चलनिधि संसाधनों या उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये भुगतान और निपटान प्रणालियों से जुड़े हुए नहीं हैं। तथापि, ये भुगतान प्रेषक और प्रेषिती ग्राहक बैंक, दोनों की अंतर्दिवसीय चलनिधि को प्रभावित करते हैं और इसलिए निगरानी साधनों की रिपोर्टिंग में इन्हें शामिल किया गया है।

4. सभी रिपोर्टिंग बैंकों पर लागू निगरानी साधन

(i) दैनिक अधिकतम अंतर्दिवसीय चलनिधि उपयोग

4.1 इस साधन का उद्देश्य बैंक द्वारा सामान्य स्थितियों में दिन के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (यदि बैंक सीधा सहभागी है) अथवा संपर्की बैंक के साथ उनके निपटान खाते में अदा किए गए और प्राप्त सभी भुगतानों के निवल शेष की निगरानी करने में सहायता करना है। कारोबार दिन के दौरान खाते (खातों) में अधिकतम निवल ऋणात्मक स्थिति (अर्थात् अदा किए गए और प्राप्त भुगतानों के बीच अधिकतम निवल संचयी शेष) बैंक के अधिकतम दैनिक अंतर्दिवसीय चलनिधि उपयोग का निर्धारण करेगी। बैंक खातों और उनके संबंधित निपटान समय की मोहरों के लेनदेन दर लेनदेन डाटा का प्रयोग करके निवल स्थिति प्राप्त करेगा। इसमें तात्कालिक निगरानी की आवश्यकता नहीं है और बैंक कारोबार दिन की समाप्ति के बाद इस पोजीशन की गणना के लिए स्वतंत्र होगा।

4.2 निवल पोजीशन केंद्रीय बैंक (सीधे सहभागी बैंकों के लिए) अथवा संपर्की बैंक (संपर्की बैंकों का प्रयोग करने वाले बैंक) के पास प्रारंभिक शेष में परिवर्तन को दर्शाता है। जहां धनात्मक निवल स्थिति यह दर्शाती है कि बैंक ने दिन के दौरान जितने भुगतान किए हैं, उससे अधिक प्राप्त किए हैं, एक ऋणात्मक निवल स्थिति दर्शाती है कि बैंक ने प्राप्तियों से अधिक भुगतान किए हैं। बाद वाली स्थिति में बैंक को इस ऋणात्मक निवल पोजीशन के निधीयन के लिए अंतर्दिवसीय चलनिधि की आवश्यकता होगी। किसी भी दिन एक बैंक को अंतर्दिवसीय चलनिधि की जो न्यूनतम राशि उपलब्ध होना आवश्यक है, वह अधिकतम ऋणात्मक निवल पोजीशन के बराबर होगी।

4.3 यदि किसी दिन के भीतर किसी समय बैंक धनात्मक निवल संचयी पोजीशन में है, तब उसके पास अपने अंतर्दिवसीय दायित्व पूरे करने के लिए अतिरिक्त चलनिधि उपलब्ध होती है।

4.4 बैंकों से अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग माह के दौरान अपने निपटान खाते या संपर्की खाते(तों) पर तीन अधिकतम दैनिक ऋणात्मक तथा धनात्मक निवल संचयी पोजीशन रिपोर्ट करें तथा साथ ही रिपोर्टिंग माह के लिए इन दोनों परिवर्तनशील मदों का दैनिक औसत रिपोर्ट करें (बीएलआर-6, क्रमांक 1)।

(ii) **कारोबार दिवस की शुरुआत में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि**

4.5 इस साधन का उद्देश्य सामान्य स्थितियों में प्रत्येक दिन की शुरुआत में अपनी अंतर्दिवसीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि की राशि की निगरानी में सहायता करना है। इस साधन के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रत्येक कारोबार दिवस की शुरुआत में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि के मूल्य की तीन न्यूनतम राशियों को रिपोर्ट करें। बैंकों को रिपोर्टिंग माह के दौरान प्रत्येक कारोबार दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि की औसत राशि को भी रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उक्त राशियों के घटक तत्वों को भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जैसा कि रिपोर्टिंग फॉर्मेट (बीएलआर-6 क्रम सं. 2) में दिया गया है।

4.6 इस साधन के अंतर्गत बैंकों को केवल ऐसे चलनिधि स्रोतों को शामिल करना चाहिए जो उनके पास मुक्त रूप से और तत्परता से उपलब्ध हों (जैसा कि पैराग्राफ 2.2 (i) में बताया गया है)। बैंकों के पास इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए। यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां परस्पर लेनदेन की मुद्रा तथा/अथवा परस्पर प्रणाली आधार पर संपार्श्विक का प्रबंध किया गया हो, देशी मुद्रा में अंकित न किए गए चलनिधि स्रोतों को गणना में केवल तभी शामिल किया जाए, यदि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को यह दर्शा सके कि संपार्श्विक को एक दिन के भीतर उस प्रणाली में अंतरित किया जा सकता है, जहां उसकी आवश्यकता है।

(iii) **कुल भुगतान**

4.8 इस साधन का उद्देश्य एलवीपीएस तथा/अथवा जहां उचित हो, संपर्की बैंक(कों) में धारित किसी भी खाते (तों) में से किए गए और प्राप्त सकल भुगतानों के अनुसार बैंक की भुगतान गतिविधियों के समग्र पैमाने की निगरानी में सहायता करना है। इस साधन (बीएलआर-6, क्रमांक3) के अंतर्गत बैंकों को रिपोर्टिंग माह के दौरान किए गए और प्राप्त सकल भुगतानों के तीन सबसे बड़े दैनिक मूल्यों को रिपोर्ट करना चाहिए। बैंकों को रिपोर्टिंग माह के दौरान किए गए और प्राप्त सकल भुगतानों की औसत दैनिक राशि भी रिपोर्ट करनी चाहिए।

(iv) **समय-विनिर्दिष्ट दायित्व**

4.9 समय-विनिर्दिष्ट दायित्वों के निपटान में असफल रहने का परिणाम वित्तीय दंड, बैंक की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचना या भावी कारोबार की हानि हो सकता है। इस साधन का उद्देश्य बैंक में

इन दायित्वों के बैंक के पैमाने /स्तर की निगरानी में सहायता करना है। बैंकों को उनके द्वारा प्रत्येक दिन में निपटान किए जाने वाले समय-विनिर्दिष्ट दायित्वों[4] के कुल मूल्य की गणना की जानी चाहिए तथा रिपोर्टिंग माह के दौरान ऐसे तीन सबसे बड़े दैनिक मूल्य तथा रिपोर्टिंग माह के दौरान ऐसे दायित्वों के औसत दैनिक कुल मूल्य को रिपोर्ट करना चाहिए (बीएलआर-6, क्रम सं. 4)।

5. **केवल ऐसे रिपोर्टिंग बैंकों के लिए निगरानी साधन, जो संपर्की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं** - संपर्की बैंकों को इस संबंध में सूचना बीएलआर-6 के क्रमांक 5 के अंतर्गत प्रस्तुत करनी चाहिए।

(i) संपर्की बैंकिंग ग्राहकों की ओर से किए गए भुगतानों का मूल्य

5.1 संपर्की बैंकिंग सेवाओं से उत्पन्न होने वाले भुगतान प्रवाहों की निगरानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपर्की बैंक के स्वयं के अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रबंधन में ऐसे प्रवाहों का काफी प्रभाव पड़ता है।

5.2 संपर्की बैंकों को प्रत्येक दिन अपनी संपर्की बैंकिंग सेवाओं के सभी ग्राहकों की ओर से किए गए भुगतानों के कुल मूल्य की गणना करनी चाहिए तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन भुगतानों के तीन सबसे बड़े दैनिक कुल मूल्य और दैनिक औसत कुल मूल्य को रिपोर्ट करना चाहिए।

(ii) **ग्राहकों को प्रदान की गई अंतर्दिवसीय ऋण व्यवस्थाएं**

5.3 संपर्की बैंकों को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने ग्राहकों को प्रदान की गई तीन सबसे बड़ी अंतर्दिवसीय ऋण व्यवस्थाओं (प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध तथा जमानती औार गैर-जमानती व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए) तथा इन व्यवस्थाओं के अधिकतम उपयोग की स्थिति को रिपोर्ट करना चाहिए।

6. **केवल प्रत्यक्ष सहभागी रिपोर्टिंग बैंकों पर लागू निगरानी साधन**

(i) अंतर्दिवसीय प्रवाह क्षमता (थ्रूपुट)

[4] इन दायित्वों में ऐसे दायित्व शामिल हैं, जिनकी समय-विनिर्दिष्ट अंतर्दिवसीय अधिकतम सीमा हो, अन्य भुगतान और निपटान प्रणालियों में जिनकी पोजीशनों का निपटान अपेक्षित हो, ऐसे अन्य दायित्व बैंक के बारोबार या प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण हों। उदाहरणार्थ सहायक प्रणालियों में दायित्व, सीएलएस पे-इन्स या एक दिन के (overnight) ऋण लौटाना।

6.1 सीधे सहभागियों को रिपोर्टिंग अवधि में दिन के दौरान कारोबार दिवस के प्रत्येक घंटे के भीतर विनिर्दिष्ट समय में निपटान किए गए बाहर जाने वाले भुगतान (कुल भुगतानों के अनुपात में) तथा आने वाली प्राप्तियों (कुल प्राप्तियों के अनुपात में) के मूल्य के प्रतिशत का दैनिक औसत रिपोर्ट करना चाहिए। बैंकों को इस संबंध में सूचना बीएलआर-6 के क्रम संख्या 5 में प्रस्तुत करनी चाहिए।

7. अंतर्दिवसीय चलनिधि दबाव परिदृश्य

7.1 ऊपर वर्णित निगरानी साधन सामान्य स्थितियों में बैंक की अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रोफाइल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तथापि, दबाव के समय में अंतर्दिवसीय चलनिधि की उपलब्धता और उपयोग में परिवर्तन हो सकता है। नीचे चार संभाव्य दबाव परिदृश्यों की उदाहरणात्मक सूची दी गई है। बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) के साथ परामर्श करके ऐसे अंतर्दिवसीय दबाव परिदृश्यों का निर्धारण करना चाहिए, जो उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और कारोबार मॉडल के लिए प्रासंगिक हों।

7.2 इन परिदृश्यों का प्रयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाना चाहिए कि सामान्य स्थितियों का अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रोफाइल दबाव की स्थितियों में किस प्रकार बदलता है। बैंकों को निगरानी साधनों पर इन दबाव परिदृश्यों के प्रभाव की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) को करनी चाहिए। इससे बैंकों को आकस्मिकता आयोजना व्यवस्था और/या अपनी व्यापक अंतर्दिवसीय चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना के माध्यम से किसी प्रतिकूल प्रभाव पर ध्यान देने में सहायता मिलेगी।

7.3 **दबाव परिदृश्य**

परिदृश्य		**प्रभाव**
I	प्रत्यक्ष सहभागी पर दबाव	किसी दबाव घटना के कारण बैंक बुरी तरह प्रभावित होता है या ऐसा समझा जाता है। • प्रतिपक्षकार भुगतानों को स्थगित कर सकते हैं और/या अंतर्दिवसीय ऋण व्यवस्था वापिस ले सकते हैं। • इसके परिणामस्वरूप बैंकों को अपने स्वयं के भुगतानों के स्थगन से बचने के लिए अपने भुगतानों के लिए अपने

		अंतर्दिवसीय निधीयन संसाधनों में से अधिक निधीयन करना पड़ सकता है। बैंकों को अपने दैनिक अधिकतम अंतर्दिवसीय चलनिधि उपयोग, कारोबार दिवस की शुरुआत में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि, कुल भुगतान तथा विनिर्दिष्ट समय के दायित्वों पर इन दबाव परिदृश्यों के संभाव्य परिणामों पर विचार करना चाहिए।
II	प्रतिपक्षकार पर दबाव	एक प्रमुख प्रतिपक्षकार अंतर्दिवसीय दबाव घटना से बुरी तरह प्रभावित होता है, जो उसे भुगतान करने से रोकती है। • प्रत्यक्ष सहभागी और बैंक, जो संपर्की बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग करते हैं, दबावग्रस्त प्रतिपक्षकार से आने वाले भुगतानों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, जिससे प्रतिपक्षकार से प्राप्य भुगतानों के स्रोत से उत्पन्न अंतर्दिवसीय चलनिधि की उपलब्धता में कमी होती है।
III	संपर्की बैंक के ग्राहक बैंक पर दबाव	संपर्की बैंक का ग्राहक बैंक दबाव घटना से बुरी तरह प्रभावित होता है। • बैंक अपने भुगतानों का पहले से निधीयन करने और/या अपने अंतर्दिवसीय ऋण व्यवस्था का संपार्श्वीकरण के लिए बाध्य हो सकता है। • अन्य बैंक ग्राहक बैंक को अपने भुगतान स्थगित कर सकते हैं। • इसके कारण अपने संपर्की बैंक (बैंकों) में अंतर्दिवसीय चलनिधि की और अधिक हानि हो सकती है, क्योंकि संपर्की बैंकों द्वारा अंतर्दिवसीय ऋण व्यवस्थाएं वापिस ली जा सकती हैं।
IV	बाजार व्यापी ऋण या चलनिधि दबाव	• अपने अंतर्दिवसीय चलनिधि उपयोग के लिए बैंक द्वारा धारित चलनिधि आस्तियों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव • बैंक की भार-रहित चलनिधि आस्तियों के बाजार मूल्य तथा/अथवा क्रेडिट रेटिंग में व्यापक गिरावट के कारण बाजार से अंतर्दिवसीय चलनिधि जुटाने की उसकी क्षमता बाधित हो सकती है। • संपर्की बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग करने वाले बैंक के मामले में

		चलनिधि आस्तियों के बाजार मूल्य तथा/अथवा क्रेडिट रेटिंग में व्यापक गिरावट के कारण अपने संपर्की बैंकों से अंतर्दिवसीय निधि जुटाने की उसकी क्षमता बाधित हो सकती है। सभी रिपोर्टिंग बैंकों को कारोबार दिवस की शुरुआत में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि पर दबाव के संभाव्य प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

7.4 जो बैंक परस्पर लेनदेन की मुद्रा के आधार पर अंतर्दिवसीय चलनिधि का प्रबंध करते हैं, उन्हें मुद्रा स्वैप बाजारों के बंद होने या परिचालनगत कठिनाइयों में अथवा विभिन्न प्रणालियों में एक साथ दबाव घटित होने पर अंतर्दिवसीय चलनिधि पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

8. लागू करने का दायरा

8.1 बैंकों को सामान्यतः अपने अंतर्दिवसीय चलनिधि जोखिम का प्रबंध प्रणाली-दर-प्रणाली आधार पर, अर्थात् प्रत्येक एलवीपीएस के लिए एकल मुद्रा में करना चाहिए।

(i) प्रणालियां

8.2 जो बैंक एलवीपीएस में सीधे सहभागी हैं, वे अपनी अंतर्दिवसीय चलनिधि का प्रबंध भिन्न-भिन्न तरीकों से कर सकते हैं। कुछ बैंक अपनी भुगतान और निपटान गतिविधियों का प्रबंध प्रणाली-दर-प्रणाली आधार पर करते हैं। अन्य बैंक एलवीपीएस के बीच सीधे अंतर्दिवसीय चलनिधि 'पुलों' का प्रयोग कर सकते हैं, जो बिना किसी प्रतिबंध के एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि के अंतरण की अनुमति देते हैं। अन्य औपचारिक व्यवस्थाएं भी अस्तित्व में हैं, जो एक प्रणाली से दूसरी में निधियों के अंतरण की अनुमति देती हैं (जैसे विदेशी मुद्रा चलनिधि को देशी प्रणालियों के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग की व्यवस्था)।

8.3 इन विभिन्न विधियों को लागू करने के लिए सीधे सहभागियों को एक बॉटम-अप विधि अपनानी चाहिए ताकि निगरानी साधनों की रिपोर्टिंग के लिए एक उचित आधार निर्धारित किया जा सके। बैंकों द्वारा पालन किए जाने हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्धारण किया गया हैः

- एक मूलभूत अपेक्षा के रूप में अलग-अलग बैंकों को उस प्रत्येक एलवीपीएस के संबंध में रिपोर्ट करना चाहिए, जिनमें वे प्रणाली-दर-प्रणाली आधार पर सहभागी हैं;
- यदि दो या अधिक एलवीपीएस में एक सीधा तात्कालिक तकनीकी चलनिधि पुल हो, तो उन प्रणालियों में अंतर्दिवसीय चलनिधि को आपस में प्रयोग किया जा सकता है। अतएव, साधनों के प्रयोजन से जुड़े हुए एलवीपीएस में से कम से कम एक को सहायक प्रणाली माना जाए;
- यदि कोई बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए यह दर्शा सके कि वह लगातार पोजीशन्स की निगरानी करता है और एलवीपीएस के बीच चलनिधि का एक दिन के भीतर अंतरण करने के लिए अन्य औपचारिक व्यवस्थाओं का प्रयोग करता है, जिनके पास सीधा तकनीकी चलनिधि पुल नहीं है, तो रिपोर्टिंग के प्रयोजन से ऐसे एलपीपीएस को भी सहायक प्रणालियां माना जा सकता है।

8.4 सहायक प्रणालियां (जैसे खुदरा भुगतान प्रणालियां, सीएलएस, कुछ प्रतिभूति निपटान प्रणालियां और केंद्रीय प्रतिपक्षकार) जब एलवीपीएस में बैंकों के दायित्वों का निपटान करती हैं, तो वे बैंक की अंतर्दिवसीय चलनिधि की मांग करती है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी सहायक प्रणालियों के लिए अलग से रिपोर्टिंग अपेक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

8.5 संपर्की बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करने वाले बैंकों को अपनी रिपोर्टें संपर्की बैंकों में उनके खातों में उनकी भुगतान और निपटान गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए। जहां एक से ज्यादा संपर्की बैंकों का प्रयोग किया जाता हो, बैंकों को प्रत्येक संपर्की बैंक की रिपोर्ट करनी चाहिए। उन बैंकों के लिए जो एक से अधिक संपर्की बैंकों के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से एलवीपीएस का प्रयोग करते हैं, रिपोर्टिंग संयुक्त (aggregated) होनी चाहिए, बशर्ते कि रिपोर्टिंग बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए यह दर्शा सके कि वह संपर्की बैंकों के बीच चलनिधि का अंतरण कर सकता है।

8.6 जो बैंक एलवीपीएस के सीधे सहभागी के रूप में परिचालन करते हैं, किंतु जो संपर्की बैंकों का इस्तेमाल भी करते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग के प्रयोजन से इनका योग करना चाहिए, यदि सीधे एलवीपीएस के माध्यम से किए गए भुगतान और संपर्की बैंक(कों) के माध्यम से किए गए भुगतान एक ही क्षेत्राधिकार और एक ही मुद्रा में हों।

(ii) **मुद्रा**

8.7 जो बैंक मुद्रा-दर-मुद्रा आधार पर अपनी अंतर्दिवसीय चलनिधि का प्रबंध कर रहे हैं, उन्हें अलग-अलग मुद्रा के आधार पर रिपोर्ट करना चाहिए।

8.8 यदि कोई बैंक यह प्रमाणित करके भारतीय रिज़र्व बैंक को संतुष्ट कर सके कि वह परस्पर लेनदेन मुद्रा के की आधार पर चलनिधि का प्रबंध करता है और उसके पास न्यूनतम विलंब के साथ एक दिन के भीतर निधियों का अंतरण करने की क्षमता है - अत्यधिक दबाव वाली अवधियों सहित - तब रिपोर्टिंग प्रयोजनों से परस्पर लेनदेन की मुद्राओं में अंतर्दिवसीय चलनिधि पोजीशनों का योग किया जा सकता है। तथापि, बैंकों को एक महत्वपूर्ण विशिष्ट मुद्रा स्तर पर भी रिपोर्ट करना चाहिए ताकि यह निगरानी की जा सके कि वे किस सीमा तक विदेशी मुद्रा[5] स्वैप बाजारों पर निर्भर हैं। ऐसे मामलों में बैंक के लिए जो मुद्रा महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें रिपोर्ट करना अनिवार्य नहीं है।

(iii) **संगठनात्मक ढांचा**

8.9 निगरानी साधनों को समेकित तथा एकल विधिक संस्था स्तर पर भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए। भारत में शाखाओं के रूप में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों के मामले में केवल शाखा के स्तर पर निगरानी साधनों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

8.10 जहां दिन के भीतर दो (या अधिक) विधिक संस्थाओं के बीच अंतर्दिवसीय चलनिधि के अंतरण में कोई अवरोध या प्रतिबंध नहीं है और बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए इसे दर्शा सकते हैं, तो ऐसी संस्थाओं की अंतर्दिवसीय चलनिधि अपेक्षाओं को रिपोर्टिंग के प्रयोजन से जोड़ा जा सकता है।

[5] किसी मुद्रा को 'महत्वपूर्ण' तब माना जाएगा यदि उस मुद्रा में अंकित सकल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक हों।

परिशिष्ट ।

निगरानी साधनों के व्यावहारिक उदाहरण

निम्नलिखित उदाहरणों में यह दर्शाया गया है कि किसी विशिष्ट कारोबारी दिवस में ये साधन बैंक के लिए कैसे कार्य करते हैं। मान लीजिए कि किसी एक दिन बैंक का भुगतान प्रोफाइल और चलनिधि उपयोग निम्नानुसार हैः

समय	प्रेषित	प्राप्त	निवल
07:00	भुगतान ए: 450		-450
07:58		200	-250
08:55	भुगतान बी: 100		-350
10:00	भुगतान सी: 200		-550
10:45		400	-150
11:59		300	+150
13:00	भुगतान डी: 300		-150
13:45		350	+200
15:00	भुगतान ई: 250		-50
15:32	भुगतान एफ: 100		-150
17:00		150	0

1. **ऐसे बैंक, जो प्रत्यक्ष सहभागी हैं**

बैंक के भुगतान प्रोफाइल का ब्योरा:

भुगतान ए: 450
भुगतान बी: 100 - सहायक प्रणाली में दायित्वों का निपटान करने के लिए निम्नानुसार है:
भुगतान सी: 200 - जिनका निपटान पूर्वाह्न 10.00 बजे तक करना है।
भुगतान डी: 300 - उस प्रतिपक्षकार की ओर से, जो बैंक द्वारा प्रतिपक्षकार को दिए गए 500 यूनिट अप्रतिभूत ऋण व्यवस्था में से कुछ का प्रयोग कर रहा है।
भुगतान ई: 250

भुगतान एफ: 100

बैंक के पास 30 यूनिट केंद्रीय बैंक आरक्षित निधि है और 500 यूनिट पात्र संपार्श्विक है।

क (i) दैनिक अधिकतम अंतर्दिवसीय चलनिधि उपयोग:
अधिकतम ऋणात्मक निवल संचयी पोजीशन: 550 यूनिट
अधिकतम धनात्मक निवल संचयी पोजीशन: 200 यूनिट

क (ii) कारोबारी दिवस के आरंभ में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि:
संपर्की बैंक में खाता शेष 300 यूनिट + ऋण व्यवस्था के 500 यूनिट (जिसमें से 300 यूनिट अप्रतिभूत या अप्रतिबद्ध है) = **800 यूनिट**

क (iii) कुल भुगतानः
प्रेषित सकल भुगतानः 450+100+200+300+250+100 = **1,400 यूनिट**
प्राप्त सकल भुगतानः 200+400+300+350+150 = **1,400 यूनिट**

क(iv) समय-विशिष्ट दायित्वः
200 + 100 = **300 यूनिट**

ख (i) संपर्की बैंकिंग ग्राहकों की ओर से किए गए भुगतानों का मूल्यः
300 यूनिट

ख (ii) ग्राहकों को प्रदत्त एक दिन के भीतर ऋण व्यवस्थाः
प्रदत्त अंतर्दिवसीय ऋण व्यवस्था का मूल्यः 500 यूनिट
प्रयुक्त ऋण व्यवस्था का मूल्य: 300 यूनिट

ग (i) अंतर्दिवसीय प्रवाह क्षमता (थ्रूपुट)

समय	प्रेषिती संचयी	% प्रेषित
08:00	450	32.14
09:00	550	39.29
10:00	750	53.57
11:00	750	53.57
12:00	750	53.57
13:00	1050	75.00
14:00	1050	75.00
15:00	1300	92.86
16:00	1400	100.00
17:00	1400	100.00
18:00	1400	100.00

2. बैंक जो संपर्की बैंक का प्रयोग करता है

बैंक के भुगतान प्रोफाइल का ब्योरा निम्नानुसार हैः

भुगतान ए: 450

भुगतान बी: 100

भुगतान सी: 200 - जिनका निपटान पूर्वाह्न 10.00 बजे तक करना है।

भुगतान डी: 300

भुगतान ई: 250

भुगतान एफ: 100 - जिनका निपटान अपराह्न 4.00 बजे तक करना है।

संपर्की बैंक के पास बैंक का खाता शेष 300 इकाइयां हैं तथा ऋण व्यवस्था की 500 इकाइयां हैं, जिनमें से 300 यूनिट अप्रतिभूत और अप्रतिबद्ध है।

क (i) दैनिक एक दिन के भीतर अधिकतम चलनिधि उपयोग:

अधिकतम ऋणात्मक निवल संचयी पोजीशन: 550 यूनिट

अधिकतम धनात्मक निवल संचयी पोजीशन: 200 यूनिट

क(ii) कारोबारी दिवस के आरंभ में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि:
संपर्की बैंक में खाता शेष 300 यूनिट + ऋण व्यवस्था के 500 यूनिट (जिसमें से अप्रतिभूत और अप्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था के 300 यूनिट शामिल है) = **800 यूनिट**

क(iii) कुल भुगतानः
प्रेषित सकल भुगतानः 450+100+200+300+250+100 = **1,400 यूनिट**
प्राप्त सकल भुगतानः 200+400+300+350+150 = **1,400 यूनिट**

क (iv) विनिर्दिष्ट समय तक दायित्वः
200 + 100 = **300 यूनिट**

परिशिष्ट 2

					बीएलआर - 6
एक दिन के भीतर चलनिधि प्रबंधन निगरानी साधन					
बैंक का नाम					
रिपोर्टिंग माह					
एलवीपीएस का नाम					
क्या एलवीपीएस में सीधा भुगतान किया (हां/नहीं)					
क्या संपर्की बैंक का प्रयोग किया है (हां/नहीं)					
क्या संपर्की बैंक के साथ ही सीधे सहभागी थे (हां/नहीं)					
संपर्की बैंक(कों) के नाम, यदि लागू हो					
क्या संपर्की बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराते हैं (हां/नहीं)					
रिपोर्टिंग मुद्रा					
क्या एक से अधिक विवरणी प्रस्तुत की है (अलग-अलग प्रणालियों, मुद्राओं या संपर्की बैंकों के लिए) (हां/नहीं)					
ऐसी विवरणियों की संख्या[6]					
क्र. सं.	**निगरानी के साधन**				
1.	**दैनिक दिन के भीतर अधिकतम चलनिधि उपयोग**				
		माह के दौरान अधिकतम	माह के दौरान दूसरा अधिकतम	माह के दौरान तीसरा अधिकतम	माह के दौरान औसत
(i)	सर्वाधिक धनात्म्क निवल संचयी पोजीशन				
(ii)	ऊपर (i) में पोजीशन की तारीखें				
(iii)	सर्वाधिक ऋणात्मक निवल संचयी पोजीशन				
(iv)	ऊपर (iii) में पोजीशन				

[6] यदि इस परिपत्र के पैरा 8 में वर्णित व्याप्ति के अनुसार बैंक को केवल एक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, तो उसे इस पंक्ति में 1 का 1 उल्लेख करना चाहिए। यदि बैंक का एकाधिक विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, तो उसे तदनुसार संख्या का उल्लेख करना चाहिए, जैसे 3 का 1, 2 का 2 आदि।

	की तारीखें				
2.	**कारोबारी दिवस की शुरुआत में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि**				
		माह के दौरान न्यूनतम	माह के दौरान दूसरा न्यूनतम	माह के दौरान तीसरा न्यूनतम	माह के दौरान औसत
(i)	कारोबारी दिवस की शुरुआत में उपलब्ध अंतर्दिवसीय चलनिधि का कुल मूल्य				
(ii)	ऊपर (i) की स्थिति की तारीखें				
(iii)	ऊपर (i) में अंतर्दिवसीय चलनिधि के घटक				
क	केंद्रीय बैंक आरक्षित निधि				
ख	केंद्रीय बैंक में गिरवी रखे संपार्श्विक				
ग	गौण प्रणालियों में गिरवी रखे संपार्श्विक				
घ	बैंक के तुलन पत्र पर भारमुक्त चलनिधि आस्तियां				
ड.	उपलब्ध कुल ऋण व्यवस्थाएं				
-	इनमें से प्रतिभूत				
-	इनमें से प्रतिबद्ध				
च	अन्य बैंकों के पास शेष राशियां				
छ	अन्य (कृपया फुटनोट में ब्योरा दें)				

3.	कुल भुगतान				
		माह के दौरान अधिकतम	माह के दौरान दूसरा अधिकतम	माह के दौरान तीसरा अधिकतम	माह के दौरान औसत
(i)	प्रेषित सकल भुगतान				
(ii)	ऊपर (i) की पोजीशन की तारीखें				
(iii)	प्राप्त सकल भुगतान				
(iv)	ऊपर (ii) की पोजीशन की तारीखें				
4.	**समय-विनिर्दिष्ट दायित्व**				
		माह के दौरान अधिकतम	माह के दौरान दूसरा अधिकतम	माह के दौरान तीसरा अधिकतम	माह के दौरान औसत
(i)	समय-विशिष्ट दायित्वों का मूल्य				
(ii)	ऊपर (i) में पोजीशन की तारीखें				
5.	**अंतर्दिवसीय प्रवाह क्षमता (थ्रूपुट)** **(सीधे सहभागियों के लिए लागू)**				
		किए गए संचयी भुगतानों का दैनिक औसत	किए गए भुगतानों के लिए संचयी प्रतिशतता (%)	प्राप्त संचयी भुगतानों का दैनिक औसत	प्राप्त भुगतानों के लिए संचयी प्रतिशतता (%)
	8:00 बजे तक थ्रूपुट				
	9:00 बजे तक थ्रूपुट				
	10:00 बजे तक थ्रूपुट				
	11:00 बजे तक थ्रूपुट				

	12:00 बजे तक थ्रूपुट				
	13:00 बजे तक थ्रूपुट				
	14:00 बजे तक थ्रूपुट				
	15:00 बजे तक थ्रूपुट				
	16:00 बजे तक थ्रूपुट				
	17:00 बजे तक थ्रूपुट				
	18:00 बजे तक थ्रूपुट				
6.	**समरूप बैंकिंग सेवाओं पर डाटा** (केवल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों पर लागू)				
		माह के दौरान अधिकतम	माह के दौरान दूसरा अधिकतम	माह के दौरान तीसरा अधिकतम	माह के दौरान औसत
(i)	संपर्की बैंकिंग ग्राहकों की ओर से किए गए भुगतानों का कुल सकल मूल्य				
(ii)	ऊपर (i) के भुगतानों की तारीखें				
(iii)	ग्राहकों को दिन के भीतर प्रदत्त ऋण व्यवस्था का कुल मूल्य[7]				
(क)	इनमें से प्रतिभूत				
(ख)	इनमें से प्रतिबद्ध				
(ग)	इनमें से अधिकतम चलन के समय प्रयुक्त				
(iv)	ऊपर (iii) दिन के भीतर भुगतानों की तारीखें				

[7] इस राशि में अप्रतिबद्ध तथा अप्रतिभूत ऋण व्यवस्थाओं सहित सभी प्रदत्त ऋण व्यवस्थाएं शामिल हैं।